समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Sunday, 27 September 2026

हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को लगाई फटकार, 60 करोड़ रुपये जमा किए बिना विदेश यात्रा की अनुमति से इनकार

Publisher

Published on 08 Oct 2025

बॉलीवुड अभिनेत्री **शिल्पा शेट्टी** और उनके पति **राज कुंद्रा** एक बार फिर कानूनी विवादों के घेरे में हैं। 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में **बॉम्बे हाई कोर्ट** ने मंगलवार को इस कपल को **कड़ी फटकार लगाते हुए** उनकी विदेश यात्रा की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कोर्ट में याचिका दायर कर विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन अदालत ने साफ शब्दों में कहा —
“**पहले 60 करोड़ रुपये जमा कीजिए, उसके बाद ही विदेश यात्रा की बात कीजिए।**”

यह सुनवाई मंगलवार को जस्टिस नितिन साम्ब्रे की बेंच में हुई, जहां कोर्ट ने दोनों को यह कहते हुए फटकार लगाई कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ी रकम कोर्ट में जमा नहीं कराई जाती, तब तक उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इस मामले की जड़ें एक **फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्कीम** से जुड़ी बताई जा रही हैं, जिसमें कई निवेशकों ने आरोप लगाया है कि **राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की कंपनी ने उन्हे निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया था**, लेकिन बाद में रकम वापस नहीं की गई।
निवेशकों ने शिकायत में दावा किया कि **करीब 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी** की गई है और दोनों पर गलत प्रचार और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है।

मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि इस घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज और ट्रांजेक्शन डिटेल्स अब भी खंगाले जा रहे हैं।

यह पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा किसी विवाद में फंसे हों।
इससे पहले भी उन्हें **पॉर्नोग्राफी केस** में गिरफ्तार किया गया था, जहां उन पर वयस्क सामग्री से जुड़ी वेबसाइटों के संचालन का आरोप लगा था। उस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी छवि को गहरा धक्का लगा।
अब यह नया वित्तीय मामला फिर से राज कुंद्रा को विवादों के केंद्र में ला खड़ा करता है।

शिल्पा शेट्टी ने अदालत में दलील दी कि उनका इस मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और वह सिर्फ कंपनी की बोर्ड सदस्य थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक **अंतरराष्ट्रीय फिटनेस ब्रांड लॉन्च इवेंट** में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा करनी है, जो उनके करियर से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर है।

हालांकि अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि **जब मामला वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा हो, तब किसी को भी बिना जांच पूरी किए देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।**
जस्टिस साम्ब्रे ने कहा —
"**यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत इवेंट का नहीं, बल्कि जनता के पैसे का सवाल है। जब तक राशि कोर्ट मे जंमा नहीं कराई जाती, तब तक कोई राहत संभव नहीं।**"

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में एक संयुक्त याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि वे **व्यावसायिक कारणों से मलेशिया और दुबई** जाना चाहते हैं।
राज कुंद्रा ने कहा कि उन्हें **एक नए तकनीकी प्रोजेक्ट** की लॉन्चिंग करनी है, जबकि शिल्पा को **फिटनेस एंड वेलनेस ब्रांड** की ग्लोबल कैंपेन में हिस्सा लेना है।
लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की विदेश यात्रा की अनुमति देना **जांच को प्रभावित कर सकता है** और इससे न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।

अदालत के सख्त रुख के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील ने कहा कि वे **इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे अपील दाखिल करने पर विचार कर रहे है।**
हालांकि फिलहाल दोनों को देश छोड़ने की अनुमति नहीं मिली है।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का यह मामला बॉलीवुड गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है।
कई सेलेब्रिटीज ने निजी तौर पर यह कहा है कि **राज कुंद्रा लगातार विवादों मे फंसते जा रहे है**, जिससे शिल्पा की सार्वजनिक छवि को भी नुकसान हो रहा है।
शिल्पा शेट्टी, जो अपनी फिटनेस और रियलिटी शो जज के रूप में जानी जाती हैं, इस समय फिल्मों से दूर हैं और अपने बिजनेस वेंचर्स पर ध्यान दे रही हैं।

जैसे ही यह खबर सामने आई कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, सोशल मीडिया पर #RajKundra और #ShilpaShetty ट्रेंड करने लगे।
कुछ यूज़र्स ने लिखा — "**कानून सबके लिए समान है। बड़े नाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।**"
वहीं कुछ फैंस ने शिल्पा का बचाव करते हुए कहा — "**वह हमेशा से ईमानदार रही है, राज कुंद्रा के मामलों मे उन्हे खींचना अनुचित है।**"

EOW सूत्रों के अनुसार, फिलहाल मामले की जांच अपने अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।
साथ ही, कोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि जब तक **धोखाधड़ी से जुड़ी 60 करोड़ रुपये की रकम या उसके बराबर की गारंटी कोर्ट मे जंमा नहीं कराई जाती**, तब तक किसी भी तरह की राहत पर विचार नहीं होगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.